

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:-एफ 5(2)/COI/C/DES/2021/ ८८८

दिनांक 14/06/2019

महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।
गृह मंत्रालय
भारत सरकार।


विषय:- भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 की अधिसूचना के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक 9/07/2019 – CD (Cen) दिनांक 5 अप्रैल 2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के निर्देशानुसार भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, की संलग्न अधिसूचना का. आ. 1455 (अ) दिनांक 26 मार्च, 2019 को राज्य की गजट अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2019 को सर्वसाधारण की सूचना के लिए पुनः प्रसारित कर दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय


(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)।
8. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक :- 1.1102/1/2019 –Census/193 दिनांक 18.04.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त निदेशक (समन्वय)



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 17, शुक्रवार शाके 1941-जून 7, 2019
Jyaistha 17, Friday, Saka 1941-June 7, 2019

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

अधिसूचना

जयपुर 28 मई, 2019

संख्या प. 5(2) सीओआई/सम/डीईएस- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, की संलग्न अधिसूचना का. आ. 1455 (अ) दिनांक 26 मार्च, 2019 को राज्य सरकार एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रसारित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
अभय कुमार,
प्रमुख शासन सचिव।

गृह मंत्रालय

(महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2019

का.आ. 1455(अ).- केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2021 के दौरान की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2021 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी;

परन्तु यह कि जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तारीख अक्टूबर, 2020, के पहले दिन के 00.00 बजे होगी।

[फा. सं. 9/7/2019-सीडी(सीइएन)]

विवेक जोशी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2019

S.O. 1455(E).- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby declares that a census of the population of

India shall be taken during the year 2021. The reference date for the census shall, except for the state of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of states of HimachalPradesh and Uttarakhand, be 00.00 hours of the first day of March, 2021;

Provided that for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of states of HimachalPradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00.00 hours of the first day of October, 2020.

[F.No. 9/7/2019- CD (CEN)]
VIVEK JOSHI,
Registrar General and Census Commissioner.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।